भारत सरकार

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

संस्कृति मंत्रालय

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 400वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान - बोर्ड रूम, चौथी मंजिल, धरोहर भवन,

दिनांक एवं समय - 01 अगस्त, 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. श्री हेमराज आर. कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
4. प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
5. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
6. कर्नल साव्यसाची मारवाह, निदेशक राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01

399वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 02

एनओसी आवेदनों पर विचार

ऑनलाइन नए मामले:

मामला संख्या 01

(श्रीमती इंद्रावती गुप्ता, श्रीमती संगीता गुप्ता, श्रीमती हेमलता गुप्ता और श्रीमती रीतु गुप्ता, बी-22, न्यू गुप्ता कालोनी, दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लाट नं. 10, सी ब्लॉक, सीसी कालोनी, दिल्ली में कुल **17.95 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=जीएफ=1एफ=2एफ=3एफ=187.37 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री रमजान साहेब सुपुत्र श्री अबदुलसाहेब मुल्ला, नगर बोउदी प्लॉट हाकिम चौक, जे.एम. रोड, विजयापुरा-586104 कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 154/के, प्लॉट नं. 35, विजयापुर, बीजापुर, कर्नाटक में कुल 07.15 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=63.50 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्री आनंद अमोगासिद्दा हीरेकुरूबर तथा श्रीमती लक्ष्मी आनंद हीरेकुरूबर, एपी, कागुड तालुक एवं जिला विजयापुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी. नं. 138 (96), एस. नं.887बी, बीजापुर, कर्नाटक में कुल 11.01 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=70.00 वर्गमीटर, 2एफ=42.64 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(1) निंगप्पा सुपुत्र यल्लप्पा हीरेकुरूबर 2) श्रीमती शारदा निंगप्पा हीरेकुरूबर, ए/पी: बाबालेश्वर, तालुक: बाबालेश्वर, जिला: बीजापुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी. नं. 91, सर्वे नं. 887बी, बीजापुर, कर्नाटक में कुल 11.01 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=70.00 वर्गमीटर, 2एफ=42.64 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मारुत वर्मा

मामला संख्या 05

(श्री आनंद अमोगासिद्दा हीरेकुरूबर एपी, कागुड तालुक एवं जिला विजयापुर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी. नं. 95, सर्वे नं. 887बी, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **11.01 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+2 मंजिलों के साथ जीएफ=1एफ=70.00 वर्गमीटर, 2एफ=42.64 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(1) श्री आशीष सुपुत्र मदन कुमार बालामकार 2) श्री विशाल मदन कुमार बालामकार 3) श्रीमती भारती (विद्या) पत्नी मदन कुमार बालामकार, जगदाले गली, वार्ड नं. 8, चंदा बाओदी, विजयापुर-586101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वे नं. 12के, प्लॉट नं. 29, कासाबा, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **07.65 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=66.50 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(सफीक पुत्र महबूबसाब मुल्ला तथा शाहिस्ता मंजूम पत्नी शफीक मुल्ला वार्ड नं. 15, रेलवे स्टेशन बैक साइड, चर्च के सामने, डॉलर्स कालोनी, विजयापुरा-586104)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 153/डी, प्लॉट नं. 47, विजयापुर, बीजापुर, कर्नाटक में कुल **07.15 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=63.50 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 08

(अजीम पुत्र अबदुलगनी लश्खारी, काजी प्लॉट, बडीकमान के समीप, विजयापुरा-586101 कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 304/1+2ए, प्लॉट नं. 58, विजयापुर, बीजापुर, कर्नाटक में कुल 07.15 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=63.50 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 09

(अब्दुलगापुर हाशिमसाब जाम्बागाई, वार्ड नं. 19, जे. एम. रोड, मुधोल हास्पिटल के समीप, अल्लापुर बेस, विजयापुरा-586104 कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 153/डी, प्लॉट नं. 13, विजयापुर, बीजापुर, कर्नाटक में कुल 07.15 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=63.50 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 10

(मंजुनाथ धराजकार, गादागेरी ओनी, मेलिन पेटे, हावेरी तालुक एवं जिला, कर्नाटक-581110)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 27-5-614-281, प्लॉट नं. 33, शिवाबासवा कल्याण मंडप के समीप, गुड्डाल रोड, होवेरी, कर्नाटक में कुल 04.60 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ=59.34 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 11

(जनार्दन सिंह पुत्र श्री खेम चंद तथा भवाना सिंह पत्नी जनार्दन सिंह किरनाली कंपाउंड, मालीताल, नैनीताल, उत्तराखंड)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भू खाता संख्या 23, बसरा नं. 1011, पैमाइश नं. 2266, 2267, 2268, 2269, रकबा-0.1 हैक्टेयर, गांव, फहुलाई गुंठ जागेश्वर, अल्मोडा, उत्तराखंड में कुल 07.**80 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=321.14 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखंड की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 12

(श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह, खाता/खतौनी संख्या 162/179, 18/17 (7-12), जम्बाबांदी 2015-16, वीपीओ, संघोग तहसील खमनोन, जिला फतेहगढ़ साहिब, पिन कोड 140802 पंजाब)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **7.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 13

(श्री ओम प्रकाश विनोचा तथा महेश विनोचा, एमसी नं. 4962, एमसीबी जैड1-10291, अफीम वाली गली, पीएनबी बैंक के सामने, बैठिंडा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एमसीबी जैड1-10291, बैठिंडा, पंजाब में कुल 10.**66 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ दो मंजिल+ममटी के साथ भूतल 104.64=वर्गमीटर, 1एफ=104.64 वर्गमीटर, ममटी=14.38 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 14

(श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, रैड लाइन में, वीपीओ, संघोग तहसील खमनोन, जिला फतेहगढ़ साहिब, पिन कोड 140802 पंजाब)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में रैड लाइन एरिया, वीपीओ, संघोल, संघोल, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में कुल 8.**68 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ भूतल=53.79 वर्गमीटर, 1एफ=53.79 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में

उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 15

(मधु रानी पत्नी पवन कुमार, 185, एसटी नं. 1, फेज-3, विशाल नगर, बैठिंडा, पंजाब)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पार्ट ऑफ #4279, सदर बाजार, बैठिंडा, पंजाब में कुल 7.32 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ भूतल=47.67 वर्गमीटर, 1एफ=23.42 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, पंजाब की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 16

(श्रीमती हंसाबेन अश्विनभाई शाह एवं अन्य, 5, दीपक नगर सोसायटी, महालक्ष्मी फाइव रोड के समीप, पालड़ी, अहमदाबाद-380007, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एफपी नं. 118/पार्ट, सब प्लॉट नं. 5, टी.पी.एस. नं. 6, पालड़ी (फाइनल), अहमदाबाद, गुजरात में कुल 12.**25 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1+स्टेयर कैबिन के साथ जीएफ=155.46 वर्गमीटर, 1एफ=151.42 वर्गमीटर, एससी=28.79 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 17

(मंजुनाथ बी.ए., पुत्र श्री अन्नेगोवडा, गुनीकेरे स्ट्रीट, बेलूर, हसन (डी) कर्नाटक-573115)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में. 4616/ए/3444/ए, गुनीकेरे स्ट्रीट, बेलूर, हसन कर्नाटक में कुल 7.72 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ मौजूदा जीएफ=28.00 वर्गमीटर, प्रस्तावित 1एफ=28.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 18

(श्री अश्फाक अहमद जी. पटेल, पुत्र गौज मोहिउद्दीन पटेल, सकाफ रोजा, विजयापुर)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **7.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

ऑफलाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(श्री सुशान्त कुमार मंगाराज एवं लिलिबाला मंगाराज, जीए-834, जीए कालोनी, भरतपुर, भुवनेश्वर 751029-खुर्दा ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **11.85 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 02

(श्री शुकदेव लेंका, प्लॉट नं. 1838/1840, सबरशाही लेन, पीओ - बुधेश्वरी, लक्ष्मीसागर, भुवनेश्वर खुर्दा जिला, ओडिशा-751006)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **07.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

मामला संख्या 03

(श्रीमती दयानिधि नायक, प्लॉट नं. क्वार्टर नं. ई/एस, बादागादा पुलिश स्टेशन, पीओ - बारागादा ब्रिट कालोनी, पीएस-बारागादा, भुवनेश्वर-751018, खुर्दा जिला, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नं. 2977/4719/9863/10772, खाता नं. 1494/7993, मौजा-भुवनेश्वर, सहारा, यूनिट-35, बादागादा, भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा, ओडिशा में कुल 8.80 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=90.75 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्री सुनील कुमार रथ, कोनारपुर, कांटापाडा, ओलाटपुर, कटक-754002, जिला कटक, ओडिशा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नं. 18/2442/6186, खाता नं. 432/5066, मौजा-बुमूदुमा, भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा, ओडिशा में कुल 10.97 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक,

जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ स्टिल्ट+2 मंजिलों के साथ स्टिल्ट तल=1एफ=2एफ=173.04 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री भावेश सेन, प्लॉट सीएच-10, को-आपरेटिव कालोनी, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, जिला खोरधा, ओडिशा-751024)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नं. 352/5568, खाता नं. 1331/526, मौजा-गौतम नगर, भुवनेश्वर, खोरधा, ओडिशा में कुल 13.**45 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ स्टिल्ट तल+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट तल=146.343 वर्गमीटर, 1एफ=2एफ=141.00 वर्गमीटर, 3एफ=83.822 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(श्री रणदीर कुमार तिवारी, 9-261, कटगारपुरा, गुलबर्गा, जिला-585101, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एच. नं. 9-261, कटगारपुरा शाह बाजार, कलाबुर्गई में कुल 7.**81 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=52.71 वर्गमीटर, 1एफ=54.94 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(श्री शिवाप्पा यल्लप्पा पाराम्मनवार, होंडाडा ओनी, नारेगल पोस्ट, हंगल तालुक, हावेरी जिला-581148, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी. नं. 186/1, नारेगल, हंगल तालुक, हावेरी जिला में कुल 5.**30 मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ भूतल के साथ

जीएफ=54.72 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 08</u>

(श्री महाम्मधयात चमनसाब नागानूर होंडाडा ओनी, नारेगल पोस्ट, हंगल तालुक, हावेरी जिला-581148, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी. नं. 259/ए/1, नारेगल, हंगल तालुक, हावेरी जिला में कुल 5.30 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ=43.48 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 09</u>

(श्री बसवराज रेवानासिद्दप्पा बेल्लारी, खानी निवास, तीसरा क्रास, शिवाबासावा नगर, हावेरी जिला-581110, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **12.74 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापिस भेजने का निर्णय लिया गया।

<u>मामला संख्या 10</u>

(श्री दोड्डाप्पा बासालिंगाप्पा हुलिकट्टि, नारेगल पोस्ट, हंगल तालुक, हावेरी जिला-581148)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में ओ. एन. पी. नं. 165, नारेगल, हंगल तालुक, हावेरी जिला में कुल 5.30 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ=37.07 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

अनुपालन ऑफलाइन मामले:

मामला सं 01

(श्री हेमन्त भोंसले पुत्र स्वर्गीय श्री दत्ताजी राव भोंसले, 1, दयानंद मार्ग, जिला-धार (मध्य प्रदेश)-454001)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूमि सर्वे नं. 870, दयानंद मार्ग, जिला-धार, मध्य प्रदेश में कुल 07.50 **मीटर** की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि सहित) के साथ जीएफ+1+ टैरेस के साथ जीएफ=1एफ=71.49 वर्गमीटर, टैरेस=06.78 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उप-नियमों का पालन करना चाहिए।

अतिरिक्त कार्यसूची

ऑफलाइन मामला

मामला सं 01

(श्री आर.आर. सिंह (महाप्रबंधक/अंतरिम सीईओ, डीडीसीए, फ्लैट नं. पी-13, निवेदिता कुंज, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में यह निर्णय लिया गया कि इंटरनेशनल एग्जीबीशन एंड कंवेंशन सेंटर (आईईसीसी), प्रगति मैदान में 9-10 सितम्बर, 2023 को आयोजित होने वाले आगामी जी-20 सम्मेलन जिसमें यूरोपियन यूनियन तथा आमंत्रित देशों के अतिथि तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 13 प्रमुखों सहित 28 देशों के प्रमुखों/राष्ट्राध्यक्षों के भाग लेने की संभावना है, के लिए सुरक्षा निगरानी के लिए जनहित में डीडीसीए अरूण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में रेलिंग, सीढ़ियां, और कनोपी सहित राडार सिस्टम (भार 2 टन) लगाने के लिए एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 2 (घग) में दी गई 'निर्माण' की परिभाषा में अपवाद खंड के तहत निम्नलिखित शर्तों पर प्रस्तावित अस्थाई अवसंरचना/निर्माण के लिए प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है:-

I. सभी प्रस्तावित संरचना अस्थाई स्वरूप की होगी।
II. यह काम एएसआई के समन्वय में किया जाएगा।
III. सभी संस्थापित मदें जी-20 सम्मेलन के पश्चात विखंडित की जाएगी।

<u>विचार-विमर्श के बिंदु</u>

(प्राधिकरण द्वारा दी गई सिफारिशों में सभी तरह की 'छत संरचनाओं' को विस्तृत रूप में बताना)

प्राधिकरण किसी भवन के पुन: निर्माण/निर्माण की सिफारिश करते समय रूफ टॉप की संरचना अर्थात ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित प्रस्तावित भवन की अधिकतम ऊंचाई विनिर्धारित करता है। सामान्यत: किसी भवन की ऊंचाई भूतल से भवन की सबसे ऊपरी मंजिल के तल की परिसज्जित सर्फेश तक मापी जाती है जिसमें विश्वभर में पालन किए जा रहे भवन सुरक्षा अधिनियम, 2022 के अनुसार छत पर मशीनरी/संयत्र क्षेत्र/मशीन रूम शामिल नहीं है।

2. जबकि हाल ही में विगत समय में यह देखा गया है कि आवेदक अनिवार्य रूफ टॉप संरचनाओं के गौज में अधिकतम अनुमेय ऊंचाई के अतिरिक्त एलिवेटर अथवा अन्य सेवाओं के लिए अन्य रूफ टॉप संरचनाओं जैसे जैनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, मशीन रूम बनाते हैं।

3. प्राधिकरण का मत है कि स्थानीय निकायों से आवेदक द्वारा भवन योजना मंजूर कराते समय किसी अस्पष्टता से बचने के लिए सामान्यत: बनाई जाने वाली सभी रूफ टॉप संरचनाओं का अपनी एनओसी में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है।

4. तदनुसार प्राधिकरण सिफारिश करता है कि अब से इसके द्वारा सिफारिश की जानी वाली एनओसी में निर्माण किए जाने वाले भवन की अधिकतम ऊंचाई को सीमित करते समय सामान्यतया बनाई जा रही सभी रूफ टॉप संरचनाओं अर्थात ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जेनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंट हाउस, टैरेस गार्डन की संरचना आदि विनिर्दिष्ट करेगा।